

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)


नारायण बनाम भोपाल सिंह व अन्य

धारा 111-128 एल0आर0ए

Online No. 2022/517

मुकदमा 360/2022

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 360/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री नारायण पुत्र धुला हरिजन जाति हरिजन निवासी भोपालगढ़ (गाडरमाला) तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपूत
2. श्री भैरू सिंह पुत्र श्री रूप सिंह,
3. श्री माधु सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह,

निवासीयान चावण्डेरी पंचायत भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाडा  
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित-1- अम्बालाल कुमावत- प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चावण्डेरी, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 108 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, 109 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, 110 रकबा 1.1633 हैक्टेयर, 112 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, 113 रकबा 0.4805 हैक्टेयर, 3033/104 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 2.9716 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम चावण्डेरी, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 108 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, 109 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, 110 रकबा 1.1633 हैक्टेयर, 112 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, 113 रकबा 0.4805 हैक्टेयर, 3033/104 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 2.9716 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

**// आदेश //**


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम चावण्डेरी, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 108 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, 109 रकबा 0.1897

हैक्टेयर, 110 रकबा 1.1633 हैक्टेयर, 112 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, 113 रकबा 0.4805 हैक्टेयर, 3033/104 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 2.9716 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 600/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पुर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।


पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।



  
(ओम प्रभा)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा